



मैनुअल - 17

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत जन साधारणों को सुविधायें :-

- 1:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत 17 मैनुअल की तैयार हस्तपुस्तिका का अवलोकन किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 10.00बजे से सांय 5.00 बजे तक सूचना का अधिकार के काउण्टर से सम्पर्क एवं अवलोकन कर किसी भी अभिलेख की जानकारी/प्रति प्राप्त की जा सकती है।
- 2:- विकास प्राधिकरण कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना का अधिकार कार्यालय खोला गया है।
- 3:- जन साधारण को जानकारी हेतु कार्यालय में सूचना पट्ट लगाया है।
- 4:- शासन द्वारा नामित लोक सूचना अधिकारी सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण नियुक्त है।
- 5:- प्राधिकरण द्वारा निम्न प्रकार से विभिन्न अधिकारियों को अपने-अपने विभाग से सम्बन्धित कार्यों हेतु लोक सूचना अधिकारी नामित किया गया है।

क्र० सं०	नाम	पद नाम	अन्य विशिष्टियां	फोन नं०
1.	श्री प्रकाश चन्द्र दुम्का	सचिव	सचिव, प्रथम अपील अधिकारी, प्रथम लोकसूचना अधिकारी	0135-6603105
2.	श्री एच० सी० बोनाल	मुख्य लेखाधिकारी	लेखा, वित्तीय कार्य, लोक सूचना अधिकारी लेखानुभाग	0135-6603106 8006406502
3.	श्री अनिल कुमार त्यागी	अधिशारी अभियन्ता	विकास कार्य, परियोजनायें, मानचित्र एवं लोक सूचना अधिकारी	0135-6603108 8006406503
4.	श्री आर० जी० सिंह	नगर नियोजक	नियोजन कार्य एवं लोक सूचना अधिकारी	0135-6603109 8006406504
5.	श्रीमती अनुजा सिंह	अनु सचिव	स्थापना, नजूल, नजारत, सम्पत्ति, एवं लोक सूचना अधिकारी	0135-6603110 8006406505

6:- सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पर निर्धारित आवेदन शुल्क रु० 10/- की प्राप्ति रसीद मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के निर्धारित प्रारूप पर जारी की जाती है।

7:- आवेदक द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत मांगे गये अभिलेख दो रूपये प्रति पृष्ठ तथा प्राधिकरण के बाईलाज, मास्टर प्लान, नियमावली, मानचित्र की प्रति आदि अभिलेख निर्धारित शुल्क पर उपलब्ध कराई जाती है।

8:- प्राधिकरण द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को नामित किया गया है।